न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी नागौर
बइजलास श्री गौरीशंकर शर्मा आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या 106/18

वादी
1–करीम खां गोद पुत्र हीरू खां जाति देशवाली
निवासी किला तहसील रियांबड़ी

बनाम

प्रतिवादीगण:–
1–हसनी बानू पुत्री हीरू खां
2–अलाबंदी पुत्री हीरू खां
3–असराफ पुत्री हीरू खां
4–सुखा बानू पुत्री हीरू खां
5–अबदर पुत्र सायरी बानू पुत्री हीरू खां
6–इकबाल पुत्र सायरी बानू पुत्री हीरू खां
7–जमाल पुत्र सायरी बानू पुत्री हीरूखां
8–सुल्तान पुत्र सायरी बानू पुत्री हीरूखां
9–गुल मोहम्मद पुत्र मुमता पुत्री हीरू खां
10–जायदा पुत्री मुमताज पुत्री हीरू खां
11–आसिया पुत्री मुमता पुत्री हीरूखां
12–लतीफ पुत्र मुमताज पुत्री हीरू खां
13–नाथूखां पुत्र साबूड़ी बानू पुत्री हीरू खां
14–अकबर पुत्र साबूड़ी बानू पुत्री हीरूखां
15–इकबाल पुत्र साबूड़ी बानू पुत्री हीरू खां
सभी जाति देशवाली निवासीगण किला तहसील रियांबड़ी
16– तहसील रियांबड़ी
17–पटवारी हलका बाडीघाटी
18– पटवारी हलका थांवला

दावा बाबत बंटवाड़ा,घोषणा खातेदारी अंतर्गत धारा 88,53 आरटीएक्ट 1955

निर्णय

दिनांक :– 06.06.2018

वादी की ओर निम्न वाद प्रस्तुत है :–

1–यह है कि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1से 15 एक ही परिवार के सदस्य है। तथा सभी स्व.हीरू खां जी के वारिसान है। जिनका सिजरा खानदान निम्न है।

2–यह है किस्व.हीरू खां व धापू बानु के कोई जायन्दा पुत्र नहीं था। केवल मात्र सात पुत्रियां थी। जिससे स्व.हीरूखां व धापू बानो ने अपने जीवनकाल में वादी को गोद ले लिया। इस प्रकार वादी स्व.हीरू खां व धापू बानू का गोदपुत्र है। जिसमें उनकी पुत्रियां भी पूर्ण रूप से सहमत थी। गोद के दिन से ही वादी को स्व.हीरूखां व धापू बानो की समस्त चल व अचल सम्पत्ति में प्राकृतिक पुत्र की भांति सारे हक व अधिकार प्राप्त हो गये।

अदालत

Scanned by CamScanner

...ला का सरहद में स्थित खेत खसरा नंबर 185 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नंबर 186 रकबा 0.01 हैक्टर,खसरा नंबर 187 रकबा 0.01 हैक्टर,खसरा नंबर 188 रकबा 6.78 हैक्टर कुल रकबा 6.81 हैक्टर में से 1/3 हिस्सा तथा खसरा नंबर 136 रकबा 0.21 हैक्टर में से 1/4 हिस्सा तथा मौजा थांवला की सरहद में स्थित खसरा नंबर 2780 रकबा 0.77 हैक्टर सम्पूर्ण भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 15 की संयुक्त काश्त व कब्जासुद भूमि है। उक्त खसरान की भूमि आगे वाद में मुतनाजा आराजी के नाम से सम्बोधित की गई है। नकल खतौनी साथ में पेश है।

4–यह है कि वादग्रस्त खसरान की भूमि में वादी व प्रतिवादीगण के पिता व माता स्व.हीरू खां व स्व.धापू बानू की खातेदारी की काश्त व कब्जासुद थी। हीरू खां व धापूबानो के स्वर्गवास के बाद उक्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण को उतराधिकार में प्राप्त हुई है। इस प्रकार वादग्रस्त खसरान भूमि पक्षकारान की पैतृक भूमि है। जो वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 15 को उनके पूर्वजे से सउतराधिकार में प्राप्त हुई है।

5–यह है कि हीरूखां व धापूबानो के स्वर्गवास के बाद वादग्रस्त खसरान के अलावा अन्य खसरान की भूमि में वादी का नाम दर्ज कर दियां,मगर वादग्रस्त खसरान की खातेदारी में पटवारी हलका ने गलती से केवल मात्र प्रतिवादीगण संख्या 1 से 15 के नाम ही खातेदारी का ईन्द्राज किया,जबकि प्रतिवादीगण संख्या 1 से 15 के साथ वादी का नाम भी खातेदारी में दर्ज करना चाहियें। क्योंकि वादग्रस्त खसरान की भूमि वादी कीपैतृक भूमि है।

6–यह है कि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 15 ने वादग्रस्त आराजी सहित अन्य भूमि का मौके पर सहूलियत के अनुसार जुबानी बंटवारा आज सेकरीब 5 वर्ष पूर्व कर लिया जिसमें प्रतिवादीगण संख्या 1 से 15 ने अपने बंट की एवज में वादी से नगदी व जेवरात प्राप्त कर लिये तथा अपना सम्पूर्ण खातेदारी वादी के पक्ष में जुबानी तर्क कर दिया। जिससे प्रतिवादीगण संख्या 1 से 15 का वादग्रस्त आराजी में कोई हक,अधिकार,बंट काश्त व कब्जा नहीं है। इस प्रकार वादग्रस्त खसरान की सम्पूर्ण भूमि वादी की खातेदारी की बंटसुदा, काश्त व कब्जासुदा है।

7–यह है कि उपर वर्णित बंट के अनुसार वादी मौके पर काश्त व काबिज है। तथा अलग अलग सीवें माठें कायम कर ली है। मगर विधिवत बंटवारा बाई मिटस एण्ड बाउण्डस नहीं हुआ है। जिससे यह वाद पेश है।

वादी का वाद दर्ज रजिसटर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 से 18 को जरिये सम्मन जबाब बाबत तलब किया गया। दिनांक 16.4.2018 को प्रतिवादी संख्या 1 से 8 व प्रतिवादी संख्या 13 से 15 ने जरिये अधिवक्ता के न्यायालय में हाजिर होकर अपना राजीनामा पेश किया गया। जो बाद पहचान के तस्दीक के सामिल मिसल किया गया। बकाया प्रतिवादीगणो के राजीनामा हेतू वकील वादी ने समय चाहा गया जो दिया गया। दिनांक 24.4.2018 को प्रतिवादी संख्या 9 से 12 ने मय वकील के उपस्थित होकर अपना राजीनामा पेश किया गया। जो बाद पहचान के तस्दीक किया जाकर सामिल मिसल किया गया।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प बाडीघाटी में पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध राजीनामा व सजरा प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत बाडीघाटी व दस्तावेजात का अवलोकन किया गया । जिससे विदित है कि वादी को प्रतिवादीगण के पिता व माता ने गोद लिया था। जिस पर सभी सहमत है। किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। इसलिए पक्षकारान ने राजीनामा पेश कर दिया है।

अतः वादी का वाद जरिये सहमति के स्वीकार किया जाता है। तथा वादी के नाम निम्न प्रकार से खातेदारी की घोषणा की जाकर बंट घोषित किया जाता है:–

" मौज किला की सरहद में स्थित खेत खसरा नंबर 185 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नंबर 186 रकबा 0.01 हैक्टर,खसरा नंबर 187 रकबा 0.01 हैक्टर,खसरा नंबर 188 रकबा 6.78 हैक्टर कुल रकबा 6.81 हैक्टर में से 1/3 हिस्सा तथा खसरा नंबर 136 रकबा 0.21 हैक्टर में से 1/4 हिस्सा तथा मौजा थांवला की सरहद में स्थित खसरा नंबर 2780 रकबा 0.77 हैक्टर सम्पूर्ण भूमि वादी के बंट की घोषित की जाती है तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 15 का नाम खातेदारी से हटाया जाता है।"

तहसीलदार रियांबड़ी उपरोक्तानुसार बंटवारा कर वादी का सेपरेट पजेशन कायम किया जावें लगान अलग से कायम करें। इसी आशय का डिकी पर्चा जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

नोटः–उपरोक्त खसरान में से अगर बैंक के रहन रखा गया हो तो रहन यथावत रहेगा।

अध्यक्ष
राजस्व लोक अदालत

Scanned by CamScanner

(गौरीशंकर शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
रियां बड़ी (नागौर)
राजस्व लोक अदालत
कैम्प– बाडीघाटी

निर्णय दिनांक 06.06.2018को राजस्व लोक अदालत कैम्प बाडीघाटी में सुनाया गया ।

(गौरीशंकर शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
रियां बड़ी (नागौर)
राजस्व लोक अदालत
कैम्प–बाडीघाटी

Scanned by CamScanner